

23-01-2024

पत्रावली पैरा टुई। वकुलाल उका वकील
अपीलांत ने पार्थना पत्र जाते अपील
जिसे विद्वान खारिज करने के लिए कर
निवेदन किया कि अपीलांत दस्तावेज अपील
को आगे चलाया नहीं जायता है तथा जिसे
विद्वान खारिज करवाया जायता है। अतः
पार्थना पत्र स्वीकार करमाया जावे एवं
अपील अपीलांत जिसे विद्वान खारिज करमाया
जावे।

जवाब में वकील देसोरे अपील
जिसे विद्वान खारिज किये जाने में कोई
आपत्ति नहीं होगी जाहिर किया।

उक्त पत्र के अतिरिक्त 11/01 की तारीख
पर भेजा गया। पत्रावली एवं पार्थना
पत्र का आवलोकन किया गया। अपीलांत
विचारना-सापालना के आदेश से सहमत
हो तथा अपील को आगे चलाया नहीं
जाये से आग्रह किया में पार्थना पत्र
स्वीकार किया जायत है तथा अपील अपीलांत
जिसे विद्वान खारिज की जायी है। अतिरिक्त
आपालना को सचार्थ आदेश ही निपटारी
जाये। पत्रावली केसल दस्तावेज लेकर उक्त
में कान की पकड़ साधन हकत है।

[Signature]

[Signature]

(behalf of
B.S.Solanki)

23-1-24

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर